THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA : Exactly, Your clarification will be to the Mover of the Bill. He is absent. It is not the Bill of the Government.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : You kindly hear me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : It is not moved by the Government or the Minister. How can you expect the Minister to reply? The Bill is moved by Bapu Kaldate.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Because the Minister has dealt with the guidelines .. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : He has to explain the stand of the Government. Your clarifications are to be directed to the Mover of the Bill. (Interruptions)

I shall now put the motion moved by Dr. Bapu Kaldate to vote.

The question is :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up the Bill of Dr. Govind Das Richharia.

The Betwa River Board (Amendment) Bill, 1985

डा० गोविन्द दास रिछारिया (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं और आपके माध्यम से इस सदन का भी आभार प्रदर्शित करता हूं जिसने इस संशोधन विधेयक पर मुझे अपनी राय और अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं पिछले 50 वर्षों से अधिक बुंदेलखंड व उत्तर प्रदेश को जन समस्याओं से जुड़ा हूं। पिछले 71 में लोकसभा में आने से पहले जिला परिषद के चेयरमैन की हैसियत से 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश के उस सूखे क्षेत्र, जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, की जन समस्याओं को मैंने देखा है। मैंने यह भी देखा है कि वहां का सबसे बड़ी समस्या गरीबी, किसानों की गरीबी मिटाने का कोई उपाय है तो वह है, सिचाई साधन बढ़ाना। मैंने यह भी समझा कि बेतवा नदी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है वह मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिलती है, उसमें वर्षा काल में ऊबड़ खाबड़ तथा ऊंचा नीचा क्षेत्र होने के कारण बहुत पानी बहता है। इसके साथ ही साथ जब वर्षा काल बीत जाता है तो उस नदी में बहुत कम पानी रह जाता है। तत्पश्चात मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मिलकर प्रयास किया और उनसे निवेदन किया कि बेतवा नदी चूंकि दोनों प्रदेशों में बहती हैं इसलिए दोनों प्रदेश समझौता करके, आपस में शर्तें करके आपस में इस तरह का एग्रीमेंट करें और उसमें केन्द्रीय सरकार को भी साथ में बैठा लें क्योंकि यह नदी जो बहती जाती है और इसका सारा पानी यमुना के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है जब कि दोनों तरफ के किसानों के खेत सूखे रह जाते हैं। तदनुसार स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में एक बहुत माने हुई इंजीनियर डा० के० एल० राव जी केन्द्रीय सरकार के सिचाई मंत्री भी थे, उनके सहयोग से एक समझौता हुआ उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों में, उसमें यह तय हुआ कि आधा आधा पैसा दोनों प्रदेश लगाएंगे और आधा आधा पानी तथा जो बिजली बनेगी उसको बांट लेंगे। इस हिसाब से समझौते के बाद उस बेतवा नदी बोर्ड पर राजघाट का बांध चालू हुआ। उस समय की हमारी केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया। जिस समय राजघाट योजना का शिलान्यास किया गया उस समय

[डा० गोविन्द दास रिछारिया]

इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 1984-85 रखा गया था। किन्तु बेतवा नदी बोर्ड का अधिनियम लोकसभा में पास होते समय उसमें एक कमी रह गयी थी, जिसको न मैं देख सका न हमारे तमाम साथी देख सके और वह कमी यह थी, जो व्यवहार में आई, बाद में समझ में आई, कि केन्द्रीय सरकार का सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए जो सिंचाई का अनुदान देता था, सिंचाई का पैसा देता था उसी में राजघाट बांध जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बनाना था उसका भी पैसा अलग अलग प्रदेशों को दे दिया करता था, अलग अलग प्रदेशों की निधि में सिंचाई का पैसा पहुंच जाता था। उसके बाद बेतवा नदी बोर्ड के इंजीनियर या उनके डाइरेक्टर मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं मध्य प्रदेश से कि वह सरकार इतना पैसा, इतना अनुदान बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाने के लिए प्रदान करे, वे उत्तर प्रदेश से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको जो पैसा मिला है केन्द्रीय सरकार से उसमें हमारे प्रोजेक्ट का खर्चा इतना है बांध बनाने के लिए और आप हमको इतना पैसा देने की कृपा करें। व्यवहार में हमको देखने से यह बात समझ में आई। मैं बहुत पास से उस योजना को देखता रहा हूं क्योंकि वह योजना उस सूखा क्षेत्र के लिए वरदान थी, जिसका पानी लगने पर किसान अपनी फसल पैदा कर सकते थे, वे किसान कृषि में उपज बढ़ाकर अपनी गरीबी मिटाकर उन्नति कर सकते थे। कर सकते थे। लेकिन उस कमी का नतीजा यह हुआ कि वह पैसा केन्द्रीय सरकार ने जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दिया था हमारी प्रदेश सरकारों ने उनकी प्राथमिकता दूसरी जगह रखी और दोनों प्रदेशीय सरकारों ने बेतवा नदी बोर्ड जो बना था उसको बराबर पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा नहीं दिया। इसका नतीजा यह निकला कि जो राजघाट योजना 1984-85 में पूरी हो जानी चाहिए थी उसमें आज इतनी देरी होने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। पूरा ही नहीं हुआ बल्कि राजघाट बांध के पूरा होने में अब भी बहुत देरी है और अब जब हमारे शंकरानंद जी जो हमारे केन्द्रीय मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली और बहुत दिलचस्पी लेकर दोनों मुख्य मंत्रियों की बैठक की और उनको बहुत समझाया कि इस योजना में जो देरी हो गयी सो हो गयी अब भी तत्काल पूरा कीजिए, तो उनको तमाम समझाने बुझाने पर अब फिर उस योजना के पूरे होने का लक्ष्य 91-92 तक रखा गया है। पहले से 7 वर्ष आगे लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। मैं इस योजना को बहुत निकट से देखता रहा हूं, देख रहा हूं लेकिन जो गति उसकी चल रही है उस गति से मुझे यह विश्वास नहीं है कि यह योजना 91-92 तक पूरी हो पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा उसमें दोष जो है वह यह है कि जब पैसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास पहुंच जाता है तो वे बहाना लेते हैं, आपस में लड़ते हैं। एक दफा मध्य प्रदेश सरकार ने कहा, यह उदाहरण के तौर पर निवेदन कर रहा हूं, आलोचना के तौर पर नहीं, कि बाणसागर में उत्तर प्रदेश पैसा नहीं दे रहा है, सोन नदी के ऊपर इसलिए हम राजघाट में पैसा नहीं दे रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बाण सागर के लिए योजना है लेकिन मैं तो यह चाहता हूं कि यह सदन या आप सिद्धांततः यह स्वीकार करें कि जो नदियां एक से अधिक प्रदेशों में बहती हैं जिन नदियों ने एक से अधिक प्रदेशों में बहकर इस तरह के विवाद पैदा किये हुए हैं जिससे कि पानी बहता जाता है और पानी बहकर समुद्र में पहुंच जाता है तो एक सक्षम बोर्ड बनाया जाये, चाहे बेतवा नदी पर, चाहे बाणसागर पर, चाहे नर्मदा पर हो, चाहे सोन पर हो, चाहे कावेरी पर हो, किसी नदी पर हो और केन्द्रीय सरकार उस बोर्ड को सीधे अपने पास से पैसा दे और दे करके उस योजना को

चालू कराये और मैं निवेदन करूंगा उपसभाध्यक्ष जी, आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार से, सिंचाई मंत्री से कि आज हमारे जो माननीय प्रधान मंत्री जी हैं उन्होंने यह माना है और उन्होंने एक जल संसाधन मंत्रालय नयी तरह से बनाया है। उन्होंने यह माना है कि सारा जल हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति है, प्रदेश को सम्पत्ति नहीं है। आज तक प्रदेशीय सरकारें जल को अपनी सम्पत्ति मानती थीं, आपस में लड़ती रहती थीं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें लड़ाई करती रहती थीं और बेतवा नदी बहती रहती थी, किसान केवल दर्शन करता था पानी के और पानी बह जाता था, खेत सूखे पड़े रहते थे। बेतवा नदी का पानी समुद्र में पहुंच जाता था लेकिन आज केन्द्रीय सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा यह एक योजना पेश की है अपने सिंचाई मंत्रालय में कि सारा जल एक है, एक-एक बूंद पानी का हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके, चाहे बाढ़ की योजना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे बिजली बनाने की योजना हो, ऐसी योजना बनाएंगे कि जिस समय बाढ़ में पानी निश्चित तौर से बहता है वह पानी सूखे हिस्से में पहुंच जाये जो सामान्यतः उस समय सूखे में रहता है। हमारी केन्द्रीय सरकार में जिस समय डा० के० एल० राव सरीखे विशेषज्ञ थे सिंचाई के उस समय उन्होंने कल्पना की थी कि उत्तर भारत में जिस समय बाढ़ आती है, जिस समय उत्तर भारत में गंगा में बाढ़ आती है, ब्रहमपुत्र में बाढ़ आती है, उस समय हमारा दक्षिण भारत सूखा रहता है वहां पर सूखा पड़ता रहता है, इसलिए उनका स्वप्न यह था कि उत्तर भारत की बाढ़ का पानी हम गंगा और कावेरी को मिला करके दक्षिण भारत में भेज दें। उपसभाध्यक्ष महोदय, हम आपके द्वारा नीति के तौर पर सिंचाई मंत्री जी से अपनी केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जब सारा पानी आपने एक मान लिया है, तो डा० के० एल० राव का जो स्वप्न है, उसके ऊपर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा जल राष्ट्र का जल है, हमारी यह जमीन अब बढ़ने वाली नहीं है। इस जमीन पर आदमी बढ़ना है, जल नहीं बढ़ना है, जमीन का रकबा नहीं बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर जो पानी इस पर बरसता है, वह राष्ट्र की सम्पत्ति है।

तो हम इस तरह की योजनाएं बनायें, चाहे बेतवा नदी पर बनायें, चाहे सोन पर बनायें, चाहे नर्मदा पर बनायें, चाहे जमना पर बनायें कि जिससे कि सारे राष्ट्र की एक मिलीजुली योजना बने। इस तरह से गंगा का पानी जब बाढ़ में खराब होता है, हम इस तरह से उसे इकट्ठा करें कि दक्षिण में एक बड़ी नहर बना कर कावेरी तक वह पहुंचे और उससे मिला कर वहां उसके रास्ते में और वहां पर जो सूखा प्रदेश है, दक्षिण के सूखा प्रदेश हैं, उसमें वह इस्तेमाल हो। तो इस तरह से सिद्धांतया आपको यह स्वीकार करना है। यह मेरा निवेदन है।

यह तो एक बड़ी छोटी सी चीज है। यह तो हमारे शंकरानन्द जी जो यहां पर हैं, जो विद्वान हैं और निकट से देख रहे हैं राजघाट को और उनका बड़ा सहयोग रहता है, राजघाट और सब योजनाओं को उनको स्वीकार करना है। वह हमारे बिल, जो मैंने उनसे निवेदन के तौर पर रखा है, उसको स्वीकार कर लें और सरकारी तौर-तरीके से इसको वह पेश करें और यह आश्वासन देने की कृपा करें कि हम सरकारी तरीके से इस बिल को पेश करके इसको स्वीकार करने का सिद्धांतया मान लें कि सारा जल जो हमारी पृथ्वी पर बरसता है, ईश्वर के द्वारा, इन्द्र भगवान के द्वारा जो जल आता है, उसकी हम इस तरह से योजनाएं बनायेंगे कि हमारी जमीन का कोई हिस्सा, भारतवर्ष की जमीन जो हमारी मातृभूमि है, उसमें हम सारे जल को इस्तेमाल करेंगे। उसके संदर्भ में मैंने बेतवा रीवर बोर्ड का संशोधन विधेयक पेश किया है कि हम जो बुंदेलखंड के किसान हैं, जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता का युद्ध शुरू किया था, जहां के लोग बहादुर हैं, तलवार लेकर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकता की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वह

[डा० गोबिन्द दास रिछारिया]

योजनाओं के कारण पीछे पड़ गये हैं, वहां का किसान गरीब है । वहां वर्षा होती है, लेकिन वह वर्षा का पानी बेतवा नदी के द्वारा बहते-बहते समुद्र में पहुंच जाता है । मेरा यह निवेदन है कि हमारा यह अधिकार केंन्द्रीय सरकार ने माना है जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा । इसलिए आप अगर बिल स्वीकार कर लें, और आप प्रदेशों को पैसा न देकर सीधा बोर्ड को पैसा दें और उसको पैसा देकर जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है बेतवा नदी पर राजघाट बनाने का, वह 1991-92 का जो लक्ष्य है, वह एक-दो साल के अंदर आप पूरा करने की कृपा करें । इसलिए मैंने इस बिल के द्वारा आपसे निवेदन किया है ।

आपकी नीति है जो आपके प्रधान मंत्री जी ने मानी है, आपकी कोशिश भी है, जो आपने कई बार सिंचाई मंत्री की हैसियत से हमारा सिंचाई मंत्रालय का जो सलाहकार समिति है, उसमें आपने स्वीकार की है, लेकिन इसको आज मैं राज्य सभा के द्वारा आपसे निवेदन कर रहा हूं । मैं आशा करता हूं कि जो मैं इस सदन के सारे सदस्यों की तरफ से यह प्रार्थना कर रहा हूं, वह देश के हित में है, क्षेत्र के हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है और हमारा मातृभूमि के हित में है, इसको केन्द्रीय सरकार स्वीकार करे तथा आपका समर्थन हो ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और केन्द्रीय सरकार से भी यह मांग करता हूं कि हमारे इस बिल को अपना पूरा समर्थन देने की कृपा करें । धन्यवाद और जय हिंद ।

The question was proposed.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, जो हमारे मित्र डा० रिछारिया जी ने बेतवा रीवर बोर्ड अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

The Statement of Objects and Reasons of the Bill says:

"The work entrusted to the Betwa River Board is suffering due to the non-availabilty of funds requred for the functioning of the Board, because of the abnormal delays n crediting the sums payable by the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to the Betwa River Board Fund and due to the sums so credited after abnormal delays, beng wholly nadequate for the purposes of the Board. For these reasons the activities of the Board either remain stagnant or are carried on at a slow pace. The responsibility for collection of such sums should, therefore, rest with the Central Government so that the Board may be able to accomplish the tasks assigned to it under the Act. The above conclusions are drawn from facts mentioned in the Report of the Board for 1983-84 in para 8.0 and 8.1 on page 21 under 'Bottlenecks' and 'Funds'".

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शंकरानन्द जी हमारे सिंचाई मंत्री हैं । हिन्दुस्तान दुनियां में प्राकृतिक दृष्टि से सब से धनी देश है जहां दुनियां के गरीब इंसान रहते हैं ।

India is the richest country where the poorest people livt.

हिन्दुस्तान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न देश है । इस मुल्क की 80 परसेंट दौलत इस जमीन के नीचे पड़ी है । इस मुल्क के 80 परसेंट इंसान जो जमीन के ऊपर रहते हैं, उनकी शक्ति का इस्तेमाल देश की दौलत को बढ़ाने के लिए नहीं हो पा रहा है । धरती के नीचे की 80 परसेंट दौलत और धरती के ऊपर के 80 परसेंट इंसान, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देश बहुत ही शक्तिशाली और वैभव संपन्न बन जाएगा । महोदय, पानी की बात है । हिन्दुस्तान में जितना पानी आज पिछले 40 वर्षों से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़-सुखाड़ से पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है

अरबों-खरबों रुपये की बर्बादी बाढ़ और सूखे के नाते होता है । हमारे पड़ोस का देश चीन है, इस समय वह 400 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहा है और हमारे देश में 150 मिलियन टन अनाज पैदा हो रहा है । जब दुनियां के दो बड़े राष्ट्रों जो कि एशिया के दो बड़े राष्ट्र हैं उनकी अर्थव्यवस्था का हम मूल्यांकन करते हैं हमें हमेशा चीन को मद्देनजर रख कर चलना चाहिए । 1947 के बाद दुनिया के दो देश आजाद हुए, एक हिमालय के इस पार और एक हिमालय के उस पार और आज चीन में 400 मिलियन टन अनाज पैदा हो रहा है और हिन्दुस्तान में 150 मिलियन टन है । कहते हैं कि खाद्यान्नों के मामले में हम आत्म-निर्भर हो रहे हैं, विदेशों से हमें अनाज नहीं मंगाना पड़ रहा है । लेकिन यह बात बहुत ज्यादा नहीं है । मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान में पानी का इस्तेमाल जितना हो ठीक ढंग से किया जायेगा उतनी ही ज्यादा इस देश की दौलत में वृद्धि होगी और इस देश की दौलत बढ़ेगी। हिन्दुस्तान बुनियादी रूप से गांवों का देश है । यहां की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है । यह जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनामी है यह बाढ़ और सूखे के दो राक्षसों से, दानवों से लगातार ग्रसित हो रही है । हिन्दुस्तान में ईश्वर की कृपा से सब से ज्यादा पानी है, उस पानी का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए यही इस बिल का लक्ष्य या उद्देश्य है । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय शंकरानन्द जी यहां मौजूद हैं, विज्ञान और तकनीक की दुनिया में जहां विज्ञान और तकनीक की हम बात करते हैं लेकिन 40 वर्षों के बाद भी इस देश को बाढ़ और सूखे के संकट से हम उबार नहीं पाए हैं । वाटर मैनेजमेंट, जहां इस मुल्क का 80 परसेंट पानी बहकर समुद्र में चला जाता है वही पानी बाढ़ का प्रलय रूप धारण करके लाखों गांवों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देता है । वही पानी न मिलने के कारण लाखों गांव सुखाड़ के शिकार हो जाते हैं । परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा और भयंकर असर पड़ता है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह पानी के इस्तेमाल के संबंध में ठोस और समयबद्ध कदम उठाए ।

मान्यवर, इस बिल में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, इन दोनों सरकारों को पैसा देना है । कई प्रांतों के बीच आज भी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ है । मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पानी एक नेशनल-ग्रिड के अंतर्गत आना चाहिए और बिजली भी नेशनल-ग्रिड में आनी चाहिए । यह इस राज्य की नदी है, यह इस राज्य का पानी है, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए । आज हरियाणा और पंजाब में पानी के बंटवारे को लेकर सात वर्षों से संघर्ष छिड़ा हुआ है, वहां सात वर्षों में कितने ही कमीशन बने, कितने ही ट्रिब्युनल बने, कितनी बार दस्तखत हुए, कितनी बार समझौते हुए, लेकिन पानी का बंटवारा आज तक नहीं हो सका ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह कहा कि हमारे देश में जो भाषावाद पर प्रांतों का निर्माण हुआ, यह मैं बहुत उचित नहीं मानता । हिन्दुस्तान में राज्यों का निर्माण तो विकसित और पिछड़े के आधार पर होना चाहिए, इस मुल्क की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए । अमरीका में 50 राज्य हैं । हिन्दुस्तान में पांच-पांच लाख की आबादी के प्रांत हैं, लगभग तीन लाख का सिक्किम है, पांच लाख का नागालैंड, छह लाख का मेघालय, पांच लाख का अरुणाचल प्रदेश, आठ लाख का गोवा, चालीस लाख का हिमाचल प्रदेश, अस्सी लाख का जम्मू-कश्मीर यानी एक करोड़ से कम आबादी के 12 राज्य हिन्दुस्तान में हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां 12-12 करोड़ के प्रांत हैं, 12 करोड़ का उत्तर प्रदेश है और करीब आठ-नौ करोड़ का बिहार, ऐसे-ऐसे राज्य हैं । एक तरफ पांच लाख के राज्य का संचालन करने के लिए एक मुख्यमंत्री, एक गवर्नर और नागालैंड के मंत्रिमंडल में 26 सदस्य,

[श्री कल्पनाथ राय]

प्लानिंग कमीशन का सौ करोड़ रुपया, वहां राज्य का रुपया, तो अंदाजा लगाइए पांच लाख की आबादी का विकास कितनी तेजी से होगा, इस तरह के 12 प्रांत हैं, जिनकी आबादी एक करोड़ से कम है और दूसरी तरफ 12 करोड़, आठ करोड़, छह करोड़, चार करोड़, तीन करोड़ के राज्य हैं, उनको जो सेंट्रल-एलोकेशन है, प्लानिंग कमीशन से जो रुपया मिलता है वह बहुत ही कम है और इसके कारण उनका विकास भी नहीं हो पा रहा है। यह बड़ा भारी देश के सामने आज संकट है और इस संकट से निपटारा पाने के लिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान में कम से कम 50 प्रांतों का निर्माण होना चाहिए और यह प्रांत भाषा के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर बनने चाहिएं ताकि विकसित राज्यों के मुकाबले पिछड़े राज्य आगे बढ़ सकें। अगर पिछड़े और विकसित के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा तो सभी राज्यों का विकास एक सा नहीं होगा।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज एक राज्य में बिजली का संकट है, एक राज्य में बिजली सरप्लस है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बदलती हुई परिस्थितियों में सरकार को बिजली का एक नेशनल-ग्रिड बनाना चाहिए और पूरे देश में बिजली नेशनल ग्रिड से सप्लाई की जानी चाहिए तभी हम अपने देश का चतुर्दिक विकास कर सकते हैं। जो देश का पानी, है चाहे वह किसी भी नदी का पानी हो, वह पूरे देश का पानी है और नेशनल-ग्रिड में यह होना चाहिए। इसके लिए सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह पानी का बंटवारा करे। राज्य पानी के बंटवारे के सवाल को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं, इससे राष्ट्रीय उत्पादन को भारी नुकसान होता है। क्या कारण है कि बेतवा नदी पर काम नहीं हो रहा है? किसी प्रदेश की सरकार कभी पैसा देती है, कभी दूसरे प्रदेश की सरकार नहीं देती है। कभी उत्तर प्रदेश नहीं देगा तो कभी मध्य प्रदेश नहीं देगा तो काम लटकता रहेगा।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। आजादी की लड़ाई के बाद बाढ़ और सुखाड़ जैसे लगता है कि जीवन की वास्तविकताएं बन गई हैं मैं इस सदन में कई बार सवाल को उठा चुका हूं। सिंचाई मंत्री श्री शंकरानंद जी के सामने मैं कह चुका हूं और यह बड़ी खुशी की बात है कि रूस की सरकार ने हमारी सरकार के साथ समझौता किया है जिसके अंतर्गत हमने टेहरी डैम को बनाने का लक्ष्य रखा है। रूस की सरकार ने टेहरी डैम के निर्माण के लिए भारत सरकार से समझौता किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के सारे प्रान्त इस बाढ़ के शिकार हो जाते हैं और देश की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। वही इलाके जो बाढ़ से नष्ट होते हैं चार महीने बाद वे सुखाड़ से नष्ट होते हैं।

महोदय, नेपाल से तीन नदियां निकलती हैं जिनका नाम है शारदा, घाघरा और राप्ती। प्रधान मंत्री को भी मैंने कई बार पत्र लिखे हैं कि नेपाल सरकार के साथ भारत सरकार समझौता करे ताकि इन नदियों के पानी का उपयोग किया जा सके। जैसे टेहरी डैम के लिए समझौता रूस की सरकार से हुआ है, वैसे ही नेपाल सरकार से भारत सरकार को समझौता पंचेश्वरी, करनाली और भालू बांध के निर्माण के लिए करना चाहिए। पंचेश्वरी नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आती है। जहां पर उसका हिन्दुस्तान में प्रवेश होता है तो उसे पंचेश्वरी कहते हैं। वही शारदा बन जाती है जब वह हिन्दुस्तान में आती है। तो पंचेश्वरी डैम उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। घाघरा नदी को नेपाल में करनाली कहते हैं, लेकिन जब वह बंगाल में प्रवेश करती है तो उसको घाघरा कहा जाता है। इसी तरह से भालू नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और राप्ती कहलाती है। ये तीनों नदियां भारत में प्रवेश करके बाढ़ लाती हैं और अरबों, खरबों रुपयों की फसल नष्ट होती है। लाखों करोड़ों घर गिरते हैं और बरसात बीतने के बाद जब नवंबर, दिसंबर में किसान अपना गेहूं या जौ बोता है तो पानी के अभाव में उसके खेत सुखाड़ के कारण भयंकर

बरबादी लाते हैं । कितनी ही बार भारत सरकार से अपील की गई कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और इन तीनों नदियों की बाढ़ से जनता को मरने से बचाने का उपाए किया जाए । इंदिरा जी ने भी इस बात का वचन दिया था कि हम नेपाल सरकार से जल्दी ही समझौता करेंगे और पंचेश्वरी, करनाली और भालू बांध का निर्माण कर एंगे । मैं शंकरानन्द जी से फिर अपील करता हूं कि आप भारत के सिंचाई मंत्री हैं आप नेपाल से कृपा करके पंचेश्वरी, करनाली और भालू बाँध का निर्माण कराइए । नेपाल सरकार से बातचीत कर, वहां जाकर इस मामले को सुलझाइए । भारत सरकार के प्रधान मंत्री से मिलकर इस बात को तय कीजिए कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभाषिका से बचाया जा सके । मुझे खेद है कि पिछले 40 वर्षों की आजादी के बाद भी आज तक आपने इस काम को नहीं किया है । हम यह भी जानना चाहेंगे कि सरकार इसको करेगी या नहीं ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, टेहरी, पंचेश्वरी, करनाली और भालू डैम तथा जो ब्रह्मपुत्र की नदियां हमारे यहां निकलती हैं, अगर इन चारों नदियों के पानी का उपयोग हम कर लें तो बाढ़ और सुखाड़ से इस देश को बचाया जा सकता है । अगर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक जेनरेशन के लिए पावर स्टेशन बनाये जायें तो 50 हजार मेगावाट बिजली बनेगी । इस समय हिन्दुस्तान में 45 हजार मेगावाट बिजली बन रही है । ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है उसके उद्गम स्थलों पर, गंगा जहां से निकलती है उसके उद्गम स्थल पर, घाघरा और रापती नदी जहां से निकलती है, शारदा नदी जहां से निकलती है उसके उद्गम स्थलों पर अगर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करने के लिए भारत सरकार कोई ठोस और समय बद्ध कदम उठाती है तो अटोमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन श्री सेठना के अनुकूल 50 हजार मेगावाट बिजली बन सकती है । आज हिन्दुस्तान में 45 हजार मेगावाट बिजली बनती है । आने वाले जमाने में बिजली की और भी मांग बढ़ेगी । दुनिया में वही राष्ट्र विकसित हैं, वहीं समृद्ध हैं, उन्होंने ही तरक्की की है जहां बिजली सबसे ज्यादा है । अमेरिका में एक लाख मेगावाट बिजली केवल न्यूक्लियर बिजली है । डेढ़ लाख मेगावाट बिजली थरमल पावर जेनरेशन से है । डेढ़ लाख मेगावाट बिजली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक से है । यह चार लाख मेगावाट बिजली इस समय पैदा हो रही है अमेरिका में जिसकी आबादी सिर्फ 22 करोड़ है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्धशाली देश है । आपका देश 70 करोड़ की आबादी में 46 हजार मेगावाट बिजली बना रहा है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 22 हजार मेगावाट बिजली बनाने का उद्देश्य रखा है । यह 70 करोड़ की आबादी आने वाले दिनों में बढ़कर, 21वीं शताब्दी में जाते-जाते, 100 करोड़ तक पहुंच जायेगी । अमेरिका के मुकाबले हिन्दुस्तान को शक्तिशाली देश बनाने के लिए, समृद्धशाली देश बनाने के लिए बिजली को हमें भारी मात्रा में पैदा करना होगा । हिन्दुस्तान में पानी की बिजली सस्ती है, न्यूक्लियर की बिजली सस्ती है । सबसे महंगी बिजली थरमल पावर स्टेशन से पैदा होती है । 46 हजार मेगावाट जो हम इस समय अपने देश में पैदा कर कर रहे हैं उसमें से 30 हजार मेगावाट बिजली थरमल पावर से बना रहे हैं । जो बिजली सस्ती हो उस बिजली से हम अपने मुल्क का विकास करें तो उससे ज्यादा मुल्क का विकास कर सकते हैं । हमारे देश के जो पानी के स्रोत हैं उन स्रोतों में या तो वर्षा का पानी है या नदियों का पानी है या अंडरग्राउंड वाटर है । अगर तीनों पानी का इस्तेमाल साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से किया जाये तो जहां एक तरफ हम अपने देश को बाढ़ और सुखाड़ से बचा जायेंगे वहीं हम इतनी भारी मात्रा में बिजली पैदा कर पायेंगे जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनोमी को, इंडस्ट्रियल इकोनोमी को गतिशीलता प्रदान करेंगे जिससे कि हमारा राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है ।

मैं केन्द्र के सिंचाई मंत्री श्री शंकरानंद जी से उत्तर प्रदेश और बिहार और असम

[श्री कल्पनाथ राय]

की जनता की तरफ से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि वे, ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, घाघरा से और शारदा से बिजली पैदा होती है, इन नदियों के पानी का इस्तेमाल इस ढंग से करें कि आज के वैज्ञानिक युग में आज के तकनीकी युग में जबकि चाइना ने अपनी सबसे भयंकर नदी को कंट्रोल कर लिया, अब चाईना में बाढ़ नहीं आती जो कि वहां के लिए अभिशाप बनी हुई थी, तो हमने जो राजीव गांधी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे एक शक्तिशाली भारत के रूप में हमारे देश के नेता राजीव गांधी का प्रवेश करने का जो सपना है वह तभी चरितार्थ होगा जब हम सस्ती बिजली पैदा कर सकेंगे। महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान को आजाद कराने का सपना देखा था। जब महात्मा गांधी, गोखले और तिलक आदि ने भारत को आजाद कराने का सपना देखा था तो किसी को विश्वास नहीं था कि देश आजाद होगा। उनका सपना साकार हुआ और हिन्दुस्तान आजाद हुआ। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दुस्तान को आधुनिक भारत बनाने का सपना देखा। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश ने एटम टैक्नालाजी को जाना, स्पेस टैक्नालाजी को जाना और हिन्दुस्तान दुनिया का तीसरा टैक्नीकल नो-हाऊ पावर बना, औद्योगिक दृष्टि से दुनिया का एक शक्तिशाली देश बना। इस देश की एग्रीकल्चरल एकानामी भी मजबूत हुई, इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाकर आधुनिक भारत बनाने का जो जवाहरलाल नेहरू का सपना था उसको हमने पूरा किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक शक्तिशाली भारत, पावरफुल समाजवादी भारत का निर्माण किया। इंदिरा गांधी ने एक सपना देखा था एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का और इंदिरा जी के समय में हिन्दुस्तान पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर मेजर वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित हुआ। हिन्दुस्तान, इंदिरा जी का जो सपना था उसके अनुकूल एक शक्तिशाली देश बना। आज हमारे देश के नेता, राष्ट्रनायक, राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी ने एक सपना देखा है वे हिन्दुस्तान को वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से एक शक्तिशाली देश बनाकर, आधुनिक भारत बनाकर, साइंस और टेक्नालाजी के माध्यम से उसकी गरीबी को दूर करना चाहते हैं और भारत के प्रचुर साधनों का उपयोग कर भारत को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं और इस तरह वे एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान एक शक्तिशाली और तकनीकी दृष्टि से मजबूत भारत बनेगा। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी शंकरानंद जी से अपील है, वे सिंचाई मंत्री हैं और सिंचाई मंत्री के अधीन पूरा वाटर मैनेजमेन्ट आता है, इसलिये आप हिन्दुस्तान के पानी का इस ढंग से इस्तेमाल कीजिये, चाहे नदियों का पानी हो और चाहे बरसात का पानी हो तथा चाहे अन्डर ग्राउंड वाटर हो ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ देश को मिल सके। आप इसके लिये ऐसे वैज्ञानिक तरीके अपनायें ताकि इस मुल्क में बाढ़ और सुखाड़ ये दो चीजें सुनाई न दें और आने वाली पीढ़ियों को बाढ़ और सुखाड़ का सामना न करना पड़े। जिस तरह से अमेरिका में, रूस में उन्होंने बाढ़ और नदियों के पानी को वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रित कर दिया है वैसे ही आप हिन्दुस्तान में इसी तकनीक के माध्यम से हिन्दुस्तान की नदियों के पानी और बाढ़ को नियंत्रित कीजिये ताकि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था, जिसका आधार गांव है, वह सुरक्षित रखी जा सके और हमारा देश मजबूत बन सके। उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक कि इस मुल्क के सात लाख गांव मजबूत नहीं होंगे। जब तक सात लाख गांव और उसमें खेती करने वाले मजबूत नहीं होंगे, खेतों में काम करने वाले हरिजन, गिरिजन, आदिवासी, किसान, मजदूरों की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। यदि यह नजरिया आप अपने दिमाग में रखें तभी आप शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस राजनैतिक नजरिये के बिना

आप शक्तिशाली भारत का निर्माण नहीं कर सकते। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मुल्क का 80 प्रतिशत पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, हमारे मुल्क की सारी नदियों के पानी का हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते। उपसभाध्यक्ष महोदय किसी भी देश को जिंदा रखने के लिये कम से कम 17 प्रतिशत वनों की आवश्यकता होती है लेकिन आज अपने मुल्क में 17 प्रतिशत वन नहीं है जो कि पेपर पर हैं। ईमानदारी से देखा जाय तो केवल 12 प्रतिशत से ज्यादा वन हमारे देश में नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को राष्ट्रीय पैमाने पर एक लैंड आर्मी का निर्माण करना चाहिए, एक लैंड आर्मी बनानी चाहिए और उस लैंड आर्मी को हिन्दुस्तान की 33 प्रतिशत धरती पर पेड़ लगाने चाहिए उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं पशु धन के बारे में कहना चाहता हूं। पूरे राष्ट्र के पैमाने पर दूध और दही 20 या 90 प्रतिशत लोगों को भी नहीं मिल रहा है। दूध के लिये पशु धन को विकसित करने का काम इस लैंड आर्मी को करना चाहिए पेड़ लगाने का काम इस लैंड आर्मी को करना चाहिए और देश की 33 प्रतिशत धरती पर पेड़ लगाने चाहिए। इन पेड़ों को लगाने से जहां बाढ़ पर नियंत्रण होगा, वहीं सुखाड़ पर भी नियंत्रण होगा क्योंकि पानी नहीं वहीं ज्यादा बरसता है जहां अधिक पेड़ होते हैं। और बाढ़ नुक्सान नहीं कर सकती हैं। जो पानी बरसता है उसका 50 प्रतिशत पानी तो वह पेड़ सोख लेते हैं जिसके कारण बाढ़ नहीं आती है। इस लैंड आर्मी को फलदार पेड़ों को राष्ट्र के पैमाने पर विकसित करना चाहिये। इस देश के नागरिकों को फल दूध व्यापक मात्रा में मिल सकें' फल और दूध जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही यह देश शक्तिशाली होगा उतना ही देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब मुल्क के नारिगको का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जहां अच्छे फल खा कर अच्छा दूध पी कर इस मुल्क के किसान खेतों में ज्यादा समय तक हल चला सकेंगे वहां उनके बेटे सीमाओं पर 13 हजार फुट की ऊंचाई पर खड़े होकर राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा भी कर सकेंगे। इस के साथ पूरे देश की अर्थ व्यवस्था जुटी हुई है गांव की अर्थ व्यवस्था से उसका सीधा सम्बन्ध पानी से है। पानी से बिजली बनती है, बिजली से नलकूप चलते हैं, नहरें चलती हैं, कारखाने चलते हैं। सारे विकास की बुनियाद ही बिजली है। बिजली का स्त्रोत पानी है। पानी का मैनेजमेंट हम अपने मुल्क में आज आजादी के 40 वर्षों के बाद भी नहीं कर पाए हैं। 80 प्रतिशत हिन्दुस्तान का पानी चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो या ऊपर का पानी हो या नदियों का पानी हो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आदरणीय शंकरानंद जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने मंत्रालय को थोड़ा गतिशील बनाइये और हम यह चाहते हैं कि आप उसमें तेजी लाइये, जितना अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की ताकत का इस्तेमाल कर के पूरे देश की इन नदियों की विनाश लीला का प्रान्तों की समस्याओं का पानी के बंटवारे के सारे सवालों का आपको अध्ययन करना चाहिये और इस पार्लियामेंट के अन्दर वाटर मैनेजमेंट के सवाल पर नदियों के पानी के प्रश्न पर एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करना चाहिये कि कैसे हम अपने मुल्क में इस पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं जहां तक नदियों का सवाल है किसी प्रान्त की कोई नदी नहीं है या जिले की कोई नदी नहीं है पूरे देश का पानी इन नदियों में है इसलिए राष्ट्र के माध्यम से कहां कितनी मात्रा में पानी की जरूरत है कितना पानी कहां दिया जाए नेशनल ग्रिड के अन्तर्गत पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमें विश्वास है कि आदरणीय शंकरानंद जी इस बेतवा नदी बोर्ड का जो हमारे मित्र रिछारिया जी प्रस्ताव लाए हैं इसके लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कहेंगे कि दोनों सरकारें मिल कर जल्दी से जल्दी इस बेतवा नदी के काम को पूरा करें ताकि बुन्देलखण्ड और रुहेलखण्ड तथा झांसी के इलाके की जनता जो आजादी की लड़ाई की प्रहरी रही है वहां की जनता को सुख-सुविधा मिल सके और

[श्री कल्प नाथ राय]

इस पानी का इस्तेमाल वे अपने विकास के लिए कर सकें और इस देश की धरती के बेटे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पा सकें। इन शब्दों के साथ मैं रिछारिया जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं, कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय रिछारिया जो संशोधन विधेयक लाए हैं, यह बेतवा नदी अधिनियम 1976 में बना था। जहां तक मैं समझ पाया हूं रिछारिया जी की भावनाओं को उसका सूक्ष्म सा मतलब यह है कि बेतवा नदी बोर्ड जो बनाया गया है जो इस में राजघाट योजना बननी थी उसको 1984-85 में पूरा होना था जो समय पर पूरी नहीं हो सकी केवल इस विवाद के कारण जो रुपया केन्द्र से दिया गया वह राज्य सरकारें को दिया गया वह बेतवा नदी बोर्ड को नदी दिया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को जो पैसा चला गया उन्होंने समय पर बोर्ड को पैसा नहीं दिया। यह योजना 1984-85 में पूरी होनी थी अब सिंचाई मंत्री जी का यह आश्वासन है कि यह 1991-1992 तक पूरी होगी। यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में चाहे सीमा विवाद हो, चाहे पानी विवाद हो चाहे बिजली विवाद हो,

4.00 PM

वह कुछ इन सीमाओं तक चला जाता है जिससे वह योजना से चलती नहीं है, राज्यों में विवाद और मतभेद और पैदा हो जाते हैं जो हमारे देश की एकता के लिए खतरा बने हुए हैं। मैं आप उन सब की चर्चा नहीं करना चाहता हूं केवल रिछारिया जी की जो मंशा है, जो बेतवा नदी बोर्ड बना हुआ है, उसके द्वारा जो राजघाट योजना थी जिससे बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता, बिजली मिलती, उससे सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होते, जिनका कि वहां पर अभाव है, वह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तभी यह हो सकता है जब यह कार्य पूरा हो जाएगा। शंकरानन्द जी ने कोशिश की राज्य सरकारों को दोनों को मिलाने की, रिजल्ट क्या हुआ? मैं समझता हूं शायद शंकरानन्द जी बतायेंगे कि इन दोनों सरकारों के मिलाने के बावजूद इस राजघाट योजना को पूरा करने के बारे में राज्य सरकारों का बजट क्या-क्या है, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का, और केंद्र सरकार से कितना बजट अभी तक दिया गया है, या भविष्य में केंद्र सरकार देने वाली है ताकि 1991-92 तक जो लिखा गया है कि यह योजना पूरी हो जाए, मुझे अभी संदेह है कि यह आश्वासन शायद ही पूरा हो और अगर यह आश्वासन 1991-92 में भी पूरा हो जाए तो उसकी विस्तृत रूपरेखा सिंचाई मंत्री जी बनायेंगे कि वह इसको डाइरेक्ट या बेतवा बोर्ड के द्वारा बनवाना चाहते हैं, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपना फंड देकर के या उन राज्य सरकारों से अलग से फंड लेकर के इस बेतवा नदी बोर्ड के द्वारा राजघाट योजना को पूरा करना चाहते हैं?

महोदय, यह एक ही योजना नहीं है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। यूं तो कल्पनाथ राय जी ने इसकी परिधि बढ़ा दी कि सदन चाहें तो हफ्ता भर इस पर चर्चा कर सकता है। उन्होंने और विषय भी जोड़ दिये, बाढ़ भी और सूखा भी, हालांकि यह एक-दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन वन योजना और दूध योजना और उन्होंने तो सारा जोड़ दिया, अच्छा किया—वह तो देश को तरक्की की तरफ गये।

खैर मैं इतना लम्बा इस पर नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजघाट की योजना दो राज्य सरकारों के विवाद में या केंद्र सरकार की थोड़ी सी अपनी उदासीनता से, दो ही बातें हो सकती हैं, यह उलझ गई और बुंदेलखंड का हमारा इलाका जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ही आता है

वहां पीने के पानी तक का अभाव रहता है। मैंने उसको खुद ऐसे मौके पर देखा है जब नदी के कीचड़ को लोग खींच-खींच कर ले जाते हैं, जिसको पशु भी नहीं पीते हैं, ऐसा पानी वह पीते हैं। तो पीने के पानी का भी जहां अभाव रहता हो, वहां सिंचाई के लिए इस योजना से बांध लगा कर बिजली पैदा करने, सिंचाई के लिए जितनी जल्दी पूरा कराया जाए, उसको कर दें। चाहे केंद्र सरकार इसमें दखल दे, चाहे राज्य सरकारों से बनवायें।

इसके साथ ही मैं इतना जरूर इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज ऐसी काफी नदी योजनाएं हमारी अधूरी पड़ी हैं और जिनकी वजह से देश का बहुत बड़ा भाग दुष्काल पीड़ित हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश हो। यह दुर्भाग्य की बात है। मैंने तो राजस्थान के इलाके में जैसलमेर को देखा है कि पशुओं को पीने का पानी नहीं है, पशु सड़कों पर छूटे फिर रहे हैं, कोई उनका ग्राहक नहीं है, कितनी मौत हो रही हैं पशुओं की। तो ऐसी हमारी योजनाएं जो खटाई में पड़ी हुई हैं, किन्हीं भी विवादों के कारण, चाहे राज्यों के विवाद हैं, चाहे धनाभाव है, चाहे केंद्रीय सरकार की थोड़ी उसमें देखरेख की कमी है। इनके लिए जो भी योजना आप बनायें, वैसे ज्यादा अच्छा तो यह है कि ऐसी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार सीधा ले ले। अब यह राज्यों के विवादों में, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जिनका कई राज्यों का लाभ पहुंचना है, चूंकि अब मुझे लगता है कि अब उतने उदार दृष्टिकोण के लोग नहीं रहे। भाखड़ा की बिजली दिल्ली को काफी तादाद में दी गई और यहां बदरपुर की बिजली उत्तर प्रदेश को जाती है, हमारे रिहन्द डैम का पानी बिहार और मध्य प्रदेश को जाता है। तो पहले से कुछ ऐसी बातें हो जाती थीं, अब इन सवालों पर इतना झगड़ा नहीं होता था। पर जो उनको सुनने को पड़ता है उन सवालों को ले करके जो भी हमारी नदी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनसे हम सूखा-ग्रस्त इलाकों को बचा सकते हैं और सिंचाई के साधन अगर हों तो पशु और मनुष्य के लिए जो पीने के पानी की कमी पड़ी हुई है देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे कावेरी की योजना हो, चाहे कहीं की भी योजना हो, चाहे वह नेपाल राज्य से संबंधित योजना हो, चाहे हमारी टिहरी की योजना हो, जिसकी चर्चा कल्पनाथ राय जी ने भी की तो मैं जहां राजघाट योजना की चर्चा कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार और आपके सहयोग से वहां अन्य हमारी जो योजनाएं अधूरी पडी हैं देश के किसी भी हिस्से में उनको भी आप जल्दी पूरा करायें ताकि हमारे देश के किसानों सिंचाई के लिए पानी और बिजली की सुविधा मिल सके। जो अकाल ग्रस्त इलाके हैं उनमें पीने के पानी की भी इसमें सुविधा हो सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक का मंशा तो इतना ही है और यह विधेयक बहुत सार्थक, उपयोगी और सामयिक है। आप इसको पास भी कर दें और साथ ही इसकी देख-रेख में अन्य नदी योजनाओं को भी पूरा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ में डा० रिछारिया के इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और केन्द्रीय मंत्री श्री शंकरानन्द जी से आशा करता हूं कि खाली इसी योजना को नहीं बल्कि जो अन्य योजनाएं हैं उनको भी शीघ्रातिशीघ्र अपनी ज्यादा दखलअंदाजी करके पूरा करायें ताकि देश का किसान और गरीब लोग सभी संपन्न हो सकें और किसानों को बिजली और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Hon. Members, if the House permits, I will like to call Mr. G. R. Mattoo to take the Chair for some time.

SOME HON. MEMBERS: We have no objection, Sir.

THE VICE-CHAIMAN (SHRI GHULAM RASOOL MATTO): In the Chair

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (UTTAR PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, before I talk about the Betwa River Board (Amendment) Bill, 1985, I would like to draw the attention of the hon. Minister for Irrigation that though irrigation is primarily a State subject, yet many questions in this connection could be formulated. And two such questions involved are in consideration of this Bill.

The first question to which I would like to draw your attention is the question of inter-State rivers. And I will remind him simply about the debates in the Second and Third Lok Sabha time when it was debated time and again that this is a vast country, its river run in different directions, its rivers cross many States and as such there must be an inter-State river policy. It was also suggested that if the rivers of northern India and southern India cannot be combined, then let us adopt some kind of a master plan to connect northern India rivers with southern India rivers by canals. I know some of the schemes, some of the maps, were prepared and the master plan was also discussed. But I do not know how the attention of the Second and Third Lok Sabha was not drawn with seriousness. At this stage, for many reasons which have been given by the respective speakers, I think it must be taken into consideration. Just like the inter-state rivers, there are inter-state projects also like the one which is at present under discussion. It is Rajghat Barrage on the Betwa River. The benefit would go to two States. Therefore, the Board was to be assisted financially by two States. There is a very innocent amendment. It has seen the repercussions of the time. It has seen the delays. It has seen the impact of the day. There has been deprivation of the people. Agricultural growth has suffered. Therefore, it requires serious consideration. I am posing this problem. There may be similar problems in other States. Therefore, the Minister should consider the formulation of a national policy about the problems which are inter-state problems. He has to look after the problem of irrigation because he is concerned with it. If you leave that to the States and if you don't come forward with an irrigation policy, the loss will be tremendous. It is true that irrigation is a State subject. But the amount of loss is tremendous. You will appreciate that the hon. Member had to bring in a Private Members' Bill. Do you have any idea of Bundelkhand? Bundelkhand is on our side of Uttar Pradesh. The situation on the other side is not different. It seems that it is like no man's land. There is sand. But the ingenuity of the people has been very great and the sacrifices that they have made been very great. Their history has been very great. But they have to suffer due to utter poverty. They have to fight for their livlihood. One useful suggestion which has been made has suffered because we don't have any uniform national policy on such questions. The policy should be clear about two States connected with a river.

The Mover of the Resolution has pointed out that some States have given a little fraction of its contribution, the other State has given a little fraction of the contribution. Probably, one-third of the plan has been completed. Nobody has calculated the devastating effects which this delay will create. There will be cost escalation. If you don't build a barrage in time, the cost factor will become so high in these times of rising prices and inflation that you will have to pay 4 times more or 6 times more. Suppose a barrage has to be completed with 200 crores of rupees. If delay takes place, it will require 600 crores or 800 crores. The completion of the project will require a lot of money. If the States don't do anything, then the Ministry of Irrigation at the Centre must think as to what should be done. If you leave it like that, it will not be completed in the next 50 years. The region suffers and the country suffers. Agriculture suffers. There is tremendous amount of loss. Therefore, some salutory measure must be adopted. This is the time when the Central Government must step in. The Planning Commission must have allocated the money. The State Government may have received the money for completing

it. But the State must have spent it somewhere else and, therefore, the barrage is not complete. Now, the whole problem is about cost escalation. Unless and until the Central Government steps in, it cannot be solved. At least, you may not step in permanently. I don't say that with every irrigation project and every State you interfere, But when there is an inter-State relationship, when there is apathy apparent on the face of it, when it has not been able to complete the project for such a long time, then your intervention is required. And, I think, for that you must propose a kind of national policy so that such schemes may not suffer. When I talked about the first proposition in the very beginning as to why did we want to have a national policy about inter-State rivers' control and even connecting the northern rivers with the southern rivers of the country, it was for various obvious reasons. One of the reasons suggested was that we have a drought and simultaneously we have floods. We have drought in one part of the country and simultaneously we have flood in the other part. So, drought and flood is a permanent feature. The country is primarily an agricultural country. Irrigation is an important requirement. We have generated many sources of irrigation, no doubt. But, I think, canal is the cheapest source. The only question is how shall we harness it. And there are inter-State rivers, no one State can harness it, no one State can effectively control the flood. The containment of flood, Mr, Minister ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHULAM RASOOL MATTO): Mr. Minister, he wants your attention. Please carry on.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Containment of floods is not possible until and unless there is a national policy I have also the second proposition that it will provide avenues for irrigation. Then, it will create vast potentials for employment. And it will accelerate the pace of agricultural production. If these are the necessary requirements, then, I think control, diversion and preservation of river water of these rivers and also saving the waste and putting it to a proper productive use shall be contained in that national policy for rivers. And if that is completed, then, I think, much of this is not required. Sir, may I place before you a simple, innocent amending Bill which I don't think by any stretch of imagination you can read in the general law? The further amending Betwa River Bill to the Betwa River Board Act of 1976 has a very innocent proviso to Section 13, sub-section (1) which reads as follows: "Provided that it shall be the responsibility of the Central Government to collect the sums payable to the Board by the said State Governments and credit the same to the fund." What it means is that if the State Governments are apathetic, if the entire irrigation project is financed by the Government of India, then why should the Board be left in a helpless position? Instead of leaving the Board in a helpless position, why can't you effectively intervene? Even if you do not frame a national policy at the present moment, for the completion of the barrage in question, you can, at least, by this amendment, force the State Government collect the sums payable to the Board by the said State Governments and credit the same to the Fund. Fund means the fund of the Board. So you can credit to the fund of the board and the board can operate it. The board is required to be dealt with by you. The word 'collect' is liable to be interpreted as it is suggested in the Amending Bill that you pay most of these State Governments for their irrigation projects. Collect means, collect before giving them these amounts, deduct them from the amount which is to be advanced for purposes of irrigation to the Madhya Pradesh Government and that is required to be advanced to the Uttar Pradesh Government. You deduct these amounts beforehand and put in the fund of the board. That is the simple amendment. With such a simple amendment even if you do not want to add it as a proviso, as a general rule to section 13, at least for the specific purpose you can do it in the interests of not only the region, in the interests of not only the two States, but also in the interests of national policy which I have advocated, and I think Hon. Minister will seriously consider my proposal. With these words I thank you for giving me this opportunity.

श्री शिव कुमार मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यहां सदन में रिछारिया जी ने जो अपना संशोधन विधेयक पेश किया है उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं रिछारिया जी के इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। नदियों पर बांध बनाने का जहां तक सम्बन्ध है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की बड़ी विषम समस्या थी। हमारे देश की तमाम जनता अपने खाने भर के लिए अन्न पैदा नहीं कर पाती थी तथा दुनियाभर के देशों से एक तरीके से भिखारियों की तरह अन्न आयात करने का प्रयास करने में लगी हुई थी। हमारे महान नेता पंडित नेहरू ने खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी देश बनाने की दृष्टि से इस बात को समझा था कि कृषि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें और उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने का निश्चय किया। आप जानते हैं कि रिहन्द बांध भाखड़ा-नांगल आदि बड़े-बड़े बांध बनवाये। आज हमारा देश न सिर्फ खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है बल्कि विदेशों को भी निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है। आज बुन्देलखंड पर बेतवा नदी बोर्ड की जो योजना है उसके बारे में रिछारिया जी ने जो प्रस्ताव किया है उसको देख कर बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि 423 करोड़ की जो योजना है जिसको 84-85 में पूरा होना था उस पर अभी तक केवल 78 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं और अब वह योजना 91 तक बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। बनते-बनते योजना 423 करोड़ की नहीं इससे भी ज्यादा खर्चे की योजना बनेगी। इस सवाल पर बड़ी गम्भीरता के साथ माननीय सिंचाई मंत्री जी को विचार करना चाहिए और जो रुपया बेतवा बोर्ड को मिलना चाहिए उसे प्रदेश सरकार को दिया जाता है और प्रदेश सरकार उसको किस कारण से व्यय नहीं कर पा रही है यह समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मैं समझता हूं कि इस बांध को बनाने में दोनों सरकारों के बीच में कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद कोई है तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि किस कारण से अभी तक उसमें विलम्ब हुआ है ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। हमारी बहुत सी योजनायें हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कई योजनायें ऐसी हैं जिन पर समय पर काम नहीं हो पाता और वे समय पर पूरी नहीं हो पाती। मिसाल के लिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शाहजहांपुर जनपद में एक खाद का कारखाना मंजूर हुआ था। उसी के साथ बरेली जिले में आमला में भी मंजूर हुआ था। आमला में वह खाद का कारखाना तैयार हो गया है लेकिन हमारे जनपद में काम की शुरूआत भी नहीं हुई है। यह इसलिये तैयार नहीं हुआ क्योंकि जिस भूमि पर उसको बनाया जाना है उसका चयन नहीं हो पा रहा है। उस वक्त यह सात सौ करोड़ रुपये की योजना थी लेकिन मेरा ख्याल है कि बनते बनते यह एक हजार करोड़ में भी पूरी नहीं होगी। छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे शाहजहांपुर जिले में शारदा नहर से एक भांवरखेड़ा माइनर कैनाल निकालने की योजना थी। लेकिन वह भी अधूरी पड़ी हुई है। जब मैंने उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री से शिकायत की तो उन्होंने वहां पर अधिकारियों को बुलाया और पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। मैंने नहर के अधिकारियों से कहा कि मुझे बताया जाय कि किसने कोर्ट केस किया है, उनके नाम बताये जायं। जब उन्होंने नाम बताया तो दूसरे दिन जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने वह कोर्ट से केस वापस कर लिया। तो ऐसे मामलों में अगर जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाय तो इस तरह के मामले जो होते हैं वे भी खत्म हो सकते हैं। वह योजना जो है वह खटाई में पड़ी हुई है। बुंदेलखंड की जो धरती है वह पानी के बिना प्यासी है। दूर दूर तक लोगों को पानी नहीं मिलता है। वह वीरों की भूमि है। महारानी लक्ष्मी बाई जैसी वीरांगनायें उस धरती पर पैदा

हुई हैं जिनसे प्रेरणा लेकर हजारों नवयुवक देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए हैं और हजारों नौजवानों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया। ऐसी भूमि पर इतने दिनों से ये योजनायें खटाई में पड़ी हुई हैं। मैं माननीय सिचाई मंत्री से नम्र अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार को रुपया देने के बजाय सीधे बेतवा बोर्ड को रुपया दें जिससे यह काम जल्दी पूरा हो सके। इसमें भी मुझे संदेह है कि अगर इसकी तरफ विशेष ध्यान न दिया गया तो संभवतः 1991 में भी इसका पूरा होना कठिन है। इन शब्दों के साथ में संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

चौधरी राम सेवक (उत्तर प्रदेश) : सम्माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय डा० गोविन्द दास रिछारिया द्वारा बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 लाया गया है। इसमें बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा (1) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा, इसके लिये यह संशोधन दिया गया है। जो परन्तुक जोड़ा जायेगा वह यह है कि :

'परन्तु उक्त राज्य सरकारों द्वारा बोर्ड को देय राशियां एकत्र करने और उन्हें निधि में जमा कराने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होगी।'

इसको जोड़ने का उद्देश्य यह है कि बोर्ड के कामकाज के लिये अपेक्षित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण बेतवा नदी बोर्ड को सौंपा गया कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा बेतवा नदी बोर्ड निधि को देय रकमें जमा कराने में असाधारण विलम्ब हुआ है और इस असाधारण विलम्ब के बाद इस प्रकार जमा की गयी रकमें बोर्ड के प्रयोजनों के लिये पूर्णतः अपर्याप्त हैं। इन्हीं कारणों से बोर्ड की गतिविधियों में या तो रुकावट आ रही है अथवा धीमी गति से पूरी हो रही है। अतः ऐसी रकम एकत्र करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर होनी चाहिए ताकि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन इसे सौंपे गये कार्यों को पूरा कर सके। उपरोक्त निष्कर्ष, 1983-84 के बोर्ड के प्रतिवेदन के पृष्ठ 21 पर 8.0 और 8.1 में 'अड़चनें' और 'निधियां' के अधीन उल्लिखित तथ्यों के आधार पर निकाले गये हैं। इसी सिलसिले में यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं, अनुमोदन करता हूं। बुन्देलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर गरीबी है। उद्योग का कोई साधन नहीं है, न कोई औद्योगीकरण हुआ है। बुन्देलखंड के जो पांच जिले उत्तर प्रदेश के हैं, झांसी, बांदा, जालौन, ललितपुर और हमीरपुर इन पांचों जिलों में चार जिले ऐसे हैं कि जो उद्योगविहीन हैं और उत्तर प्रदेश में जो 9 जिले हैं उन में यह चार ऐसे हैं? इसके अलावा यह इलाका जो कि उबड़खाबड़ और पहाड़ी इलाका है, पिछले दिनों मैंने इसका सर्वे कराया था। मैं जब गवर्नमेंट आफ इंडिया में डिप्टी मिनिस्टर आफ स्टील एंड माइंस विभाग का था तो जो गवर्नमेंट के गजट में लिखा था कि यहां पर ट्यूबवैल नहीं बन सकते। लेकिन तीन चार साल के अथक प्रयास के बाद ज्योलिजिकल सर्वे आफ इंडिया वालों ने वहां पर बोरिंग कर कर के उस जगह यह मालूम किया कि यहां पर ट्यूबवैल बन सकते हैं, तो कुछ ट्यूबवैल्ज बनाये गये लेकिन एक योजना बनाई गई कि बेतवा नदी पर राजघाट पर बांध बनाया जाएगा और बांध के लिये उस समय व्यवस्था थी 55 करोड़ रुपये की लेकिन जब 1971 में हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी ने शिलान्यास किया इस योजना का, इस बांध का, उस समय यह बताया गया कि इस पर 123 करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन इसके साथ ही वहां पर बिजली पैदा करने के लिये योजना शामिल की गई और इसका कुल रुपया 423 करोड़ रुपया किया गया लेकिन अभी तो उसकी इरीगेशन वाली योजना भी पूरी नहीं हुई बांध बनाने की योजना पूरी नहीं हुई। उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश शासन का जो इंट्रेस्ट होना चाहिये वह इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले दिनों

[चौधरी राम सेवक]

माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो मैंने उन से दबाव डाल कर कुछ आगे योजना बढ़ाने के लिये कहा था। योजना में इससे कुछ लाभ भी हुआ था और योजना का कार्य आगे बढ़ा था लेकिन उनके जाने के बाद मैं यह सोचता हूं कि आज जो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उनकी दिलचस्पी इसमें कम है क्योंकि वे बिलासपुर के हैं। अर्जुन सिंह जी बुन्देलखंड क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे। इस लिये उन्होंने इंट्रेस्ट लिया..

उपसभाध्यक्ष (श्री गुलाम रसूल मट्टू): दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं।

चौधरी राम सेवक: लेकिन उन्होंने इंट्रेस्ट लिया था क्योंकि उनको उस क्षेत्र की जानकारी थी कि यह इलाका पिछड़ा हुआ है। पहले मुगलों ने कोशिश की थी कि इस पर कब्जा करें लेकिन यहां के रणबांकुरे अपने इस इलाके पर किसी को कब्जा नहीं करने देना चाहते थे और उन्होंने लड़ाई लड़-लड़ कर अपने को स्वाधीन बनाया। उसके बाद जब अंग्रेज आये तो अंग्रेजो के खिलाफ रानी झांसी ने स्वाधीनता की लड़ाई 1857 में शुरू की और नतीजा यह हुआ कि उस लड़ाई को दबा दिया गया और इस इलाके में जो प्रगति होनी चाहिये थी, जो बढ़ोतरी होनी चाहिये थी, यहां के लोगों को जो सहुलियतें मिलनी चाहिये थीं, वह सहुलितें नहीं दी गई क्योंकि यह स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का इलाका था। इसलिये यह पिछड़ा रहा है। उन्होंने यह सोचा था कि अब देश आजाद हुआ है हमारी सरकार हमारी कुछ मदद करेगी लेकिन 1971 में योजना शुरू हुई और अभी तक कुल 78 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। अभी तक सिर्फ मिट्टी का काम जो है वह पूरा हुआ है अभी जो बाकी काम है, चिनाई का काम है उसे हाथ भी नहीं लगाया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अब मन्त्री जी विशेष दिलचस्पी लें। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने इसीलिये एक नया स्लोगन दे दिया है कि चूंकि हमारे इलाके पर सरकार का ध्यान नहीं है इसलिये हमारा प्रांत अलग बना दिया जाए। और बुन्देलखंड एक नया प्रांत हो।, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर आप इस क्षेत्र का ध्यान रखें और यहां पर इस योजना को पूरा करने के लिये आप व्यवस्था करें और उसमें योगदान दें तो यह इलाका जरखेज हो सकता है। महोदय, आप ऐसे इलाके से आते हैं जहां चावल होता है लेकिन हमारे इस इलाके में पानी की कमी की वजह से चावल पैदा नहीं होता है, सिर्फ गेहूं या मोटे अनाज, ज्वार बाजरा या अन्य जिन्सें पैदा होती हैं, मसूर तथा अन्य दालें पैदा होती हैं लेकिन अगर इस इलाके में पानी की व्यवस्था कर दी जाये तो यह इलाका गेहूं भी पैदा करेगा, चावल भी पैदा करेगा जिससे देश के लोगों की उदर-पूर्ति हो सकेगी। मैं डा० रिछारिया जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वे बड़े उपयुक्त समय पर इस विधेयक को लाये हैं। पहले यह योजना सन 1984-85 तक पूरी हो जानी चाहिये थी, अगर वह पूरी हो जाती तो दूसरा जो स्टेप था बिजली बनाने का वह शुरू हो जाता, लेकिन जब यही योजना पूरी नहीं हुई है। इसमें जो 123 करोड़ की लागत होनी थी वह बढ़कर 200 करोड़ हो गयी है। अगर 1991-92 तक नहीं बनी तो फिर 300 करोड़, 350 करोड़ हो सकती है, इसका एण्ड नहीं है। सरकार ने 78 करोड़ रुपया खर्च किया है, उस रुपये का लाभ होना चाहिये था लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये हमारा अपने सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन है कि वे इसके लिये ऐसी व्यवस्था करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रुपया दे, वह सीधे-सीधे बेतवा बोर्ड को दे ताकि वह रुपया उसी जगह पर खर्च हो स्टेट गवर्नमेंट को चाहे उत्तर प्रदेश को या मध्य प्रदेश को जो रुपया दिया गया हैं उसमें से उत्तर प्रदेश ने 50 करोड़ खर्च किया। तथा मध्य प्रदेश ने 40 करोड़ खर्च किया है। सिर्फ 90 करोड़ रुपया बोर्ड में आया लेकिन खर्च हुआ है कुल 78 करोड़ रूपया। अगर आप रुपया सीधे देंगे तो काम जल्दी होगा और जल्दी होने से यह बांध जल्दी पूरा हो जायेगा। वहां पर सारा इलाका पथरीला है, अगर सिंचाई के साधन दे दिये जायें तो डबल क्राप, ट्रिपल क्राप कर पायेंगे। अभी तो केवल एक क्राप पैदा करते हैं चाहे खरीफ की हो या रबी की। दो क्राप्स नहीं पैदा कर सकते हैं। दूसरे वहां पर

गार्डनिंग नहीं हो सकती है । हम सिट्रस फ्रूट्स के ट्रीज नहीं लगा सकते हैं सिर्फ बबूल और ऐसे ट्रीज लगा सकते हैं जिनमें फल न हो । हम आम पैदा नहीं कर सकते हैं आप के यहां सेब होता है, हम सेब अंगूर कुछ भी ऐसा चीज नहीं लगा सकते हैं जिनसे ये सब चीजें मिल सकें । वहां पर सिर्फ एक ही कमी है सिचाई की । बेतवा नदी पर सिंचाई के लिये जो राजघाट का बांध बनाना है उसको पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार इसको सीधे रुपया दे ।

मैं इस सदन के द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारा जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसमें भी हमारे प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि पिछड़े हुये इलाको को आगे बढ़ाया जाये, गरीबों की गरीबी दूर की जाये, लोगों को रोजगार दिया जाये । यह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला इलाका है, जब तक बेतवा पर बांध नहीं बनाया जायेगा राजघाट का, तब तक यहां पर कोई प्रगति होने वाली नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ हमारे रिछारिया जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और शासन से तथा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह संशोधन मंजूर कर लें और उसमें यह व्यवस्था कर दें कि कि जो भी रुपया दिया जाये वह स्टेट गवर्नमेंट की बजाये सीधा बेतवा बोर्ड को दिया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो हमको बोलने का समय दिया, अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करता हूं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डा० गोविन्द दास रिछारिया जी ने बेतवा नदी बोर्ड के संशोधन का जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं ।

वास्तव में यह देश गांवों का देश है, यह देश नदियों का देश है, यह देश समुद्रों का देश है, यह देश पहाड़ों का देश है, विभिन्न प्रकृति, विभिन्न प्रकार का स्वभाव विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां, विभिन्न प्रकार का जीवन दर्शन, विभिन्न प्रकार के लोगों की अनेकता में हम सामूहिक एकता देखते हैं—

एकोऽहम् बहुस्यामी ।

यह हमारा स्लोगन रहा है और अनेकों में एक हम हैं । पूरा भारत हम उठा कर के देखें, तो कहीं समुद्र की लहरें उत्तल तरंगें ले रही हैं, कहीं हिमालय का मुकुट हमारे देश का गौरव है, कहीं देखें तो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी स्थानों में खेती भी होती है और वीर भी पैदा होते हैं, कहीं हम देखें तो मैदानी इलाके हैं जहां कि नदियों में जब बाढ़ आती है, तो प्रति वर्ष लाखों टन अनाज बाढ़ के प्रभाव में आ जाता है, खेत डूब जाते हैं और सारी चीजें, जो हमारा उत्पादन है, समाप्त हो जाता है । जय शंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है :

हिमगिरि के उत्तुंग शिखिर पर, बैठ शिला की शीतल छांह,
एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह,
नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन
एक तत्व की ही, प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन ।

उपसभाध्यक्ष (श्री गुलाम रसूल मट्टू): आप जब बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ बारिश हो रही है । तो आप बारिश ला रहे हैं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : थैंक यू, सर । जड़ और चेतन . . . **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : बारिश हो रही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री गुलाम रसूल मट्टू): जी, हां । तभी तो मैंने अर्ज किया कि ऊपर से गरज सुनाई दे रही है । तो जो उन्होंने बात कही है, उसका असर पड़ रहा है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जड़ और चेतन के बीच में जब प्रति वर्ष बाढ़ आती है, तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश बनारस कमिश्नरी का रहने वाला हूं, (बलिया) में गांव के गांव बह जाते हैं और वह पानी समुद्र में जाता है । पानी पानी का प्रवाह बहा कर ले जाता है हमारी फसल को हमारे पशुओं को , हमारे ग्रामवासियों को और उसके

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

लिये मुझे खुशी है कि राजीव गांधी की सरकार ने सातवीं पंच वर्षीय योजना में मेरे ही प्रश्न के उत्तर में माननीय शंकरानन्द ने बताया था कि पौने आठ अरब रुपये, 775 करोड़ रुपये फ्लड कण्ट्रोल के लिये राजीव गांधी की सरकार ने सातवीं पंच वर्षीय योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकार किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार का ध्यान हमारे सदन का ध्यान हमारे देश की इरिगेशन की समस्याओं की ओर नहीं है, लेकिन सब से जरूरी है रिछारिया जी इस धरती के रहने वाले हैं, जहां झांसी की रानी पैदा हुई थीं——

खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी,

बुंदेले, हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी।

पूरी कविता सुनाने का अवसर नहीं है। वह धरती है जहां इस सदन के सदस्य राष्ट्र-कवि मैथिलीशरण गुप्त उत्पन्न हुये थे, जहां वृन्दालाल वर्मा उत्पन्न हुये, मैंने उस धरती को देखा है, छोटे-छोटे गांव हैं और जंगलों के बीच में जमीन है। वहां रिछारिया जी के संसद में आने के बाद सन् 1971 में लोक सभा में इंदिरा जी और डा० के० एल० राव सिंचाई मंत्री से इन्होंने आग्रह किया कि बेतवा बोर्ड बने। बेतवा बोर्ड बना। इंदिरा जी ने उसका शिलान्यास किया और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वह योजना पूरी होनी थी, लेकिन दुख इस बात का है कि 1984-85 में वह योजना पूरी होनी चाहिये थी और आज तक पूरी नहीं हुई। केवल मिट्टी का ढूहा बना दिया गया है, अभी उसका प्लास्टर का काम भी बाकी है। उस बांध को पूरा करने के लिये, जैसा हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने कहा 423 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था। मैं मोती लाल नेहरू कालेज का प्रिंसिपल हूं, जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो वह कालेज मुझे अधूरी बिल्डिंग के रूप में मिला और 34 लाख रुपये का जो प्रोपोजल था उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट 82 लाख रूपये का बना इतना अधिक फर्क पड़ा। हमारे जो साधन हैं निर्माण के उनमें दाम की बढ़ोतरी हो गई है। जिस योजना को हम लें, केन्द्र सरकार सीधे कह देती है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। किसी यूनिवर्सिटी में हड़ताल होती है उसके बारे में पूछा जाता है तो सरकार जवाब देती है कि वह स्टेट का मामला है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। सिंचाई मंत्रालय से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी जितनी भी योजनाएं केन्द्र ने बनाई हैं चाहे एक प्रदेश को सरकार हो, चाहे दो-दो प्रदेश सरकारें हों, उनको आप टाइम बाउंड करिए, उन से यह निश्चित करा लीजिए कि आपको यह काम इतने सीमित समय में करना ही होगा अन्यथा जिस तरह से निर्माण के दाम बढ़ रहे हैं, एक ओर तो काम नहीं होता है दूसरे रिवाइज्ड एस्टीमेट इतना कोस्टली पड़ जाता है कि जो धन हमको राष्ट्र के विकास के और काम में लगाना चाहिए था वह नहीं लग पाता है। बेतवा बोर्ड में भी यही चीज दिखाई पड़ रही है। डा० रिछारिया ने बड़े सुविचारित समय पर बड़े अच्छे ढंग से जो कुछ कहा है उसमें सब से महत्व की चीज जो है कि वह है राजघाट बांध पर उत्तर प्रदेश को 50 करोड़ रुपया देना था और मध्य प्रदेश को 40 करोड़ रुपया देना था और बांध की चिनाई का काम अभी नहीं हुआ है। 1991-92 तक यह योजना पूरी हो जाएगी और दो सौ करोड़ रूपया और 123 करोड़ की जगह इसमें लगेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बेतवा बोर्ड हो चाहे और बहुत सी हमारी योजनाएं हैं अभी टिहरी बांध की योजना बड़ी तेजी से चल रही है और बड़ी शलाघनीय योजना है, उसके बन जाने से हमारे उत्तर प्रदेश के पानी की समस्या हल हो जाएगी विशेष कर पहाड़ी इलाकों की जो पानी की समस्या है और साथ ही मैदानी इलाकों में भी पानी मिलेगा। अभी दो हजार करोड़ करोड़ रूपया हमें रूस की सरकार ने सहायता के रूप में इस टिहरी योजना के लिये प्रदान किया है। इसी तरह और भी कई योजनाएं हैं:

नेहरू जी ने इस देश की परिकल्पना की थी कि चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान हो, सब को

हम एकाकार करके इस रूप में राष्ट्रव्यापी बनायेंगे कि सारी दुनिया गर्व करे। बहुत कुछ उन्होंने किया। नंगल भाखड़ा, रेणु सागर और बहुत से बांध देश में है। हमें देखने का मौका मिला है श्री-शेलम के बांध को भी चाहे विद्युत के क्षेत्र में हों, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो अनेक हमारी योजनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस देश की मूल आवश्यकताएं केवल तीन हैं अगर यह देश गांवों का देश है तो? वे हैं बिजली पानी और सड़क। जब जनप्रतिनिधि लोगों के पास जनता में जाते हैं तो उनमे यही तीन चीजों की मांग होती है। सिंचाई के क्षेत्र में हम प्रगति इसलिए देखना चाहते हैं कि जहां इतना पानी होता हो, जहां समुद्र हो वहां पर बिजली की कमी हो? हमारे पास जो स्किल है, जो प्रतिभा है, जो ज्ञान के आंग्रण्य वैज्ञानिक हैं उनकी प्रतिभा का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई जानी चाहिएं और उनकी प्रतिभा से इस प्रकार काम किया जाना चाहिए कि एक बूंद पानी भी हमारे समुद्र का हो, चाहे हमारी धरती के नीचे का पानी हो, चाहे नदियों का पानी हो, चाहे पहाड़ों का पानी हो उसका दुरुपयोग न हो, इस तरह की महत्वपूर्ण सराहनीय योजना राष्ट्रीय धरातल पर बनाई जानी चाहिए। जो प्रांतीय सरकारें काम नहीं कर पाती हैं और आपस में मतभेद रखती हैं, उसमें बेतवा का जो हमारा प्रोजेक्ट है वह फंस करके अपनी निर्धारित आपूर्ति न कर पाए अपने निर्माण का काम न कर पाए तो इसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जो इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेंगे।

और सन् 1991 तक यह काम अवश्य पूरा होना चाहिए। राजघाट बांध परियोजना व धन विवाद को बाण सागर योजना से जोड़ दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने नहरों के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा भूभाग नहीं मिला इसलिए राजघाट परियोजना में पैसा नहीं दिया गया। सूखा आदि पड़ गया, इसलिए नहीं दिया गया, विस्थापितों की समस्या आ गयी। न जाने कितने विवाद उठ जाते हैं।

"प्रकृति रही दुर्जेय अपरिचित हम
सब थे भूले मद में"

तो प्रकृति न जानें कितनी विपदाएं उत्पन्न कर देगी और हमारी ऐसी योजनाएं रह जाएंगी। इसलिए इस देश के जल को —

रहिमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे,
मोती मानुस चून॥

मोती, इंसान और चूने का पानी मर जाय तो ये तीनों निर्जीव हो जाते है। इस देश का पानी रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शंकरानंद जी के जिम्मे लगाया है और मुझे विश्वास है कि डा० रिछारिया नें जो संशोधन बेतवा बोर्ड के संबंध में रखा है, वह संशोधित रूप से स्वीकार होगा। हमारा जो काम होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी केपेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र में भी हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हों। आज कोई रेस्पोंसिबिल्टी लेने को तैयार नहीं है। टेंहरी बांध के कई इंजीनियरों को मैं जानता हूँ, जिन पर सी०बी०आई० की इन्क्वायरी बैठ चुकी है, भ्रष्टाचार की फाइल बनी हुई है और वह हेड इंजीनियर बन के वहां काम कर रह हैं। चरित्र की पवित्रता और काम की लगन होनी चाहिए ऐसी है लगन, बहुत से ऐसे चेयरमैन और टेक्नोक्रेटस हमने देखे है जो दीवाने हैं, जब प्रतिभा और पागलपन एक विन्दु पर मिलते हैं तो आदमी दीवाना हो जाता है। इस देश में दीवाने निर्माता हैं और उन्हीं के बल पर इस देश का निर्माण का काम गतिशील है।

इन शब्दों के साथ हमारी प्रकृति सम्पन्न हो, जगह-जगह जंगल लगें, जगह-जगह वृक्ष उत्पाद का कार्य हो, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति निरंतर बढ़े, जो खाद हमें मिले वह इस कोटि की हो, जिससे अधिक से अधिक अन्न हम उत्पन्न कर सकें, इस देश

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

मैं वीरता और पोरूष की कमी नहीं है, श्रम एव जयते हमारा नारा है, जिस दिन देश का नौजवान अपने खून और पसीने में भेद करने लगेगा, जब हमारा नौजवान खेतों मैं काम करता है, चाहे हजारों फिट की ऊंचाई पर, जब हम यहां बैठकर के चर्चा करते है, वह बर्फ मैं गल करके, रेगिस्तानों के जलते हुए बालू मैं रहकर राष्ट्र की रक्षा करने वाला हमारा नौजवान आज इस धरती के मिट्टी की सौगंध लेकर के इस देश के निर्माण मैं जूझ रहा है। दूसरी ओर हमारा जो किसान है, हमारी जो गृह-मोर्चे को जनता है, वही राष्ट्र निर्माण के वास्तविक अधिकारी हैं और इस राष्ट्र की अस्मिता इस राष्ट्र की गरिमा, इस राष्ट्र का व्यक्तित्व इस राष्ट्र का समस्त पूंजीभूत मानवता की शंखानाद कर दूसरो को प्रसन्न देखना ही हमारा लक्ष्य है :-

औरों को हंसते देखो मनु
हंसों और सुख पाओ ।
अपने मन को विस्मित कर दो,
जग को सुखी बनाओ ।।

यह जो हमारे देश का अध्यात्म रहा है। उस आध्यात्मिक शक्ति के निर्माण के लिए जो मेटेरलिस्टिक नीति है, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे ला-आर्डर की हो, चाहे टेक्नोलोजी आयात करने की हो, हमारा मनोबल लड़ता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पैटन टैंक तोड़ने वाले हमारे देश के नौजवानों के समक्ष पाकिस्तान के 84 हजार सैनिकों का एक साथ आत्म-समर्पण पुराण से लेकर आज तक, किसी देश में नहीं हुआ। पूरे पुराण और इतिहास को उठा कर देख लीजिए। इंदिरा गांधी जी ने 84 हजार पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण एक साथ कराया। यह इस राष्ट्र की वीरता, इस राष्ट्र की गरिमा, इस राष्ट्र की अस्मिता और इस राष्ट्र की महिमा का द्योतक है। पुराणों से लेकर आज तक जो काम नहीं हुआ है, वह हुआ हमें इस चीज से डरने की जरूरत नहीं हैं कि हमारा मनोबल टूटा है, हम कहीं कमजोर हुए हैं

जो बड़े-बड़े यंत्र है, औजार हैं वे नहीं लड़ते हैं। वहां मनोबल लड़ता है। राष्ट्र की जनता लड़ती है, राष्ट्र के सैनिक लड़ते हैं। तो इस देश की कोटि-कोटि जनता आज अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अपने कानों की बालियां तथा मंगलसूत्र उतारकर अपने प्राणों को जनता न्यौछावर करती है। हमारे देश के किसान के बेटे फौज में लड़ते हैं और किसान खेतों में उत्पादन करके जोवन की आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पूरी करते हैं। यदि हम उनको जल नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते उनके उत्पादन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते तो राष्ट्र का भविष्य खतरे में हैं। 21वीं सदी में दुनियां का सबसे मजबूत राष्ट्र होकर हम प्रवेश कर रहे हैं "संशयात्मा विनश्यति" में विश्वास अगर हम करते हैं तो इस देश की जनता का मनोबल इतदा ऊंचा है, उसको हमें बनाए रखना होगा और जो योजनाएं हैं उनको हमको निश्चित रूप से टाइम बाउंड करना होगा। अगर काम पूरा नहीं होता है, जैसे बेतवा बोर्ड का काम 1991 तक पूरा नहीं होता है तो उसके लिए एकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। अधिकारी को यह भय होना चाहिए कि अगर हमने काम पूरा नहीं किया तो शासन हमारे साथ बड़े से बड़ा सलूक करेगा। हमारी सामाजिक मर्यादा कानूनी धेरे में आ जाएगी। अगर हम एसा करेंगे तो हमारे सामाजिक काम पूरे होंगे। तब हमारी योजनाएं पूरी होंगी

इन शब्दों के साथ डा० रिछारिया जी ने जो बेतवा बोर्ड का काम 1991 तक पूरा करने का विधेयक रखा है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, डा० गोविन्द दास रिछारिया जी ने जो बिल रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन यह जो बेतवा नदी के बांध की योजना है, यह 1984 में पूरी होनी थी। लेकिन आज तक उस पर 64 करोड़ रूपया ही खर्च हुआ है। उस योजना का काम खटाई

में पड़ गया है ऐसा कई जगहों पर होता है। जहां पर डैम बनाया जाता है वहां पर हर काम में विलम्ब होकर उसका खर्चा इतना बढ़ जाता है कि उस काम को पूरा करने में दिक्कत हो जाती है। 423 करोड़ रुपए की यह ओरिजिनल योजना थी। मंत्री जी यह बतायेंगे कि 1991 में यह योजना पूरी हो जाएगी या नहीं? अगर पूरी हो जाएगी तो उस पर कितना खर्चा होगा? तब हमारे पास कितने रिसोर्सेज होंगे? तो हमारे देश की योजनाओं को आप इस तरह से चलाएंगे तो जितनी भी नदियां हैं उन पर जो बांध बन रहे हैं उनके पूरा न होने से जो नुकसान होता है उसके लिये किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? जब वक्त पर काम नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? अगर सही नहीं होता है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? इसी तरह से हर एक नदी घाटी योजना अगर 5-10 साल देर से पूरी पूरी होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता।

यह ठीक है कि जो काम कुछ सूबों में हो सका है, इरिगेशन हुआ है, वहां कुछ पैदावार भी हुई है और उत्पादन भी बढ़ सका है। बाकी जो प्रदेश है वहां अभी तक योजनाओं में विलम्ब होने से हमारा ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। अगर हमारा ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा होता तो हमारी नेशनल इनकम ज्यादा होती हमारी नेशनल ग्रोथ ज्यादा होती। हमारे और प्रदेश भी आगे बढ़ सकते। हमारे यहां नर्मदा रिवर योजना है। अभी प्रधान मंत्री जी ने उसकी क्लियरेंस दी है। लेकिन अगर 20 साल पहले उसकी स्वीकृति मिल जाती तो 3-4 करोड़ रु० बच जाता। 3-4 करोड़ रुपये की हमारी ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाती। लेकिन जो योजना 500 या 700 करोड़ रुपये में पूरी होने वाली थी वह 7 हजार करोड़ में भी पूरी नहीं होगी।

रिसोर्सेज कहां से इकठ्ठे करेंगे 12 हजार करोड़ रुपये लेने के लिए

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHULAM RASOOL MATTO): Mr. Patel, you can continue on the next occasion. It is time now to take up the Half-An-Hour Discussion.

5 P.M.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER GIVEN TO STARRED QUESTION 123 ON 23RD APRIL 1987 RE. CREDIT TO M/S. RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHULAM RASOOL MATTO): Now we shall take up the Half-an-Hour Discussion. But in the beginning I would like to tell the honourable Members that there must be a difference between a Half-an Hour Discussion and a Short Duration Discussion. They must confine themselves to the time-limit; of course, it cannot be only half an hour but as far as possible, they should not convert it into a Short Duration Discussion. As per the traditions of this House it is not possible to conclude the discussion within half an hour. But, as I said, Members must distinguish between Half-an-Hour Discussion and Short Duration Discussion. So, within the time-limit they should try to make their observations so that the discussion is completed in half an hour as far as possible. Now I request Shri Jaswant Singh to raise the discussion.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, this discussion arises out of answers given to Question No. 123 on 23rd April 1987. The question itself was quite specific. There is no need to repeat the question. There is, however, every need very briefly to repeat what the Minister replied in the House on that day. I am not going into the full reply. Amongest many other things that the Minister of State said, he said the CBI had registered a case on 18th November 1985. Then, amongest other things, the honourable Minister of State said that banks and financial institutions provided credit facilities on need-based requirements which were extended to Messrs. Reliance Industries Limited after obtaiing the authorisation of RBI under Credit Authorisa-